"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2002—ज्येष्ठ 17, शक 1924

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक 466 डी-15/116/2001/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन मण्डी फीस से, ऐसी दलहनों को, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दाल मिलों में प्रसंस्करण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से लाई गई हो, 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितम्बर 2004 तक की कालावधि के लिये छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2002

क्रमांक 467 डी-15/116/2001/14-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

Raipur, the 6th June 2002

NOTIFICATION

No. 466 D-15/116/2001/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973), the State Government, hereby, exempts from the Market Fees (under sub-section (1) of Section 19 of the said Act) on such pulses which are brought from out side of the state of Chhattisgarh for processing in the pulse mills situated in the state of Chhattisgarh for the period from 1st October, 2001 to 30th September, 2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. L. JAIN, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.